संख्या-4/2024/245/60-1-2024

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 27 फरवरी, 2024**

विषय:- उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-522/निदे0म0क0/लेखा-बा0से0यो0/2023-24, दिनांक 02.02.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जो उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में है।

2- सूच्य है कि प्रश्नगत योजना हेतु शासनादेश दिनांक 21.06.2023 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़ मात्र), शासनादेश दिनांक 27.10.2023 द्वारा द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में रू0 4000.00 लाख (रूपये चालीस करोड़ मात्र) तथा शासनादेश दिनांक 12.01.2024 द्वारा चतुर्थ एवं पंचम किश्त के रूप में रू0 4000.00 लाख (रूपये चालीस करोड़ मात्र), इस प्रकार कुल रू0 10000.00 लाख (रूपये एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-06-उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 12000.00 लाख (रुपये एक अरब बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष छठी/अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 2000.00 लाख (रुपये बीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -:

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17-03-2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021020600 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-224-X-2023-24, दिनांक 20-02-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-4/2024/245(1)/60-1-2024, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in